अध्याय 3

अध्याय 3

सामान्य पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का अनुपालन

3.1 प्रस्तावना

पर्यावरण अनापत्ति (ईसी), ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार नियत प्रक्रियाएं अपनाने के बाद एमओईएफएण्डसीसी द्वारा श्रेणी ए परियोजनाओं के लिए दिए जाते है। ईआईए रिपोर्ट में पीपी द्वारा की गई वचनबद्ताओं के अनुसार निर्धारित शर्तों पर परियोजना के पीपी को इसी जारी किया जाता है। इस अध्याय में ईसी की 13 सामान्य शर्तों के गैर अनुपालन से संबंधित टिप्पणीयाँ दी गई है जो कि सभी राज्यो कि परियोजनाओं से संबंधित है। 13 सामान्य शर्तें नीचे दी गई हैः

I. व्यय में कमी और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) कि कोई समयबद्ध योजना नहीं
II. अलग लेखाशीर्ष और ईएमपी की निधियों का उद्दिष्टीकरण नहीं
III. पर्यावरण अनापत्ति पत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना लागत का चित्रण नहीं/ कम चित्रण
IV. ईएमपी कार्यकलापों हेतु वन विभाग से परामर्श न करना
V. हरित पटटी के विकास में कमी
VI. सीएसआर कार्यकलापों में कमी
VII. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और पर्यावरण क्लीयरेंस पत्र में उल्लेख ईएसआर के तहत गतिविधियों के लिए राशि में भिन्नता
VIII. पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त न करना
IX. भूजल का अनियमित उपयोग
X. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के बाद कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन
XI. वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिर्पोट/ पर्यावरण विवरण प्रस्तुत न करना
XII. ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालनों का आरम्भ
XIII. परियोजना प्रसारक द्वारा समाचार पत्र में ईसी का विज्ञापन न करना

यह निर्धारित करने के उददेश्य से कि क्या पर्यावरण प्रस्तावक ने ईसी शर्तों का अनुपालन किया है, हमने पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिए गए 352 परियोजनाओं के अभिलेखों/ सूचना, जिसके लिए एमओईएफएण्डसीसी ने कलेण्डर वर्ष 2008-12 में सात क्षेत्रों में प्रदान की गई ईसी का मुल्यांकन किया है। हमने अभिलेख तथा दस्तावेजों के

आधार पर ईसी रिपोर्ट की शर्तों का अनुपालन तथा प्रति बद्दताओ का परीक्षण जांच किया। लेखा परीक्षा निष्कर्ष का परिणाम चार्ट 3.1 में संक्षेप है।

चार्ट 3.1 सामान्य ईसी शर्तों के अनुपालन का मुल्यांकन

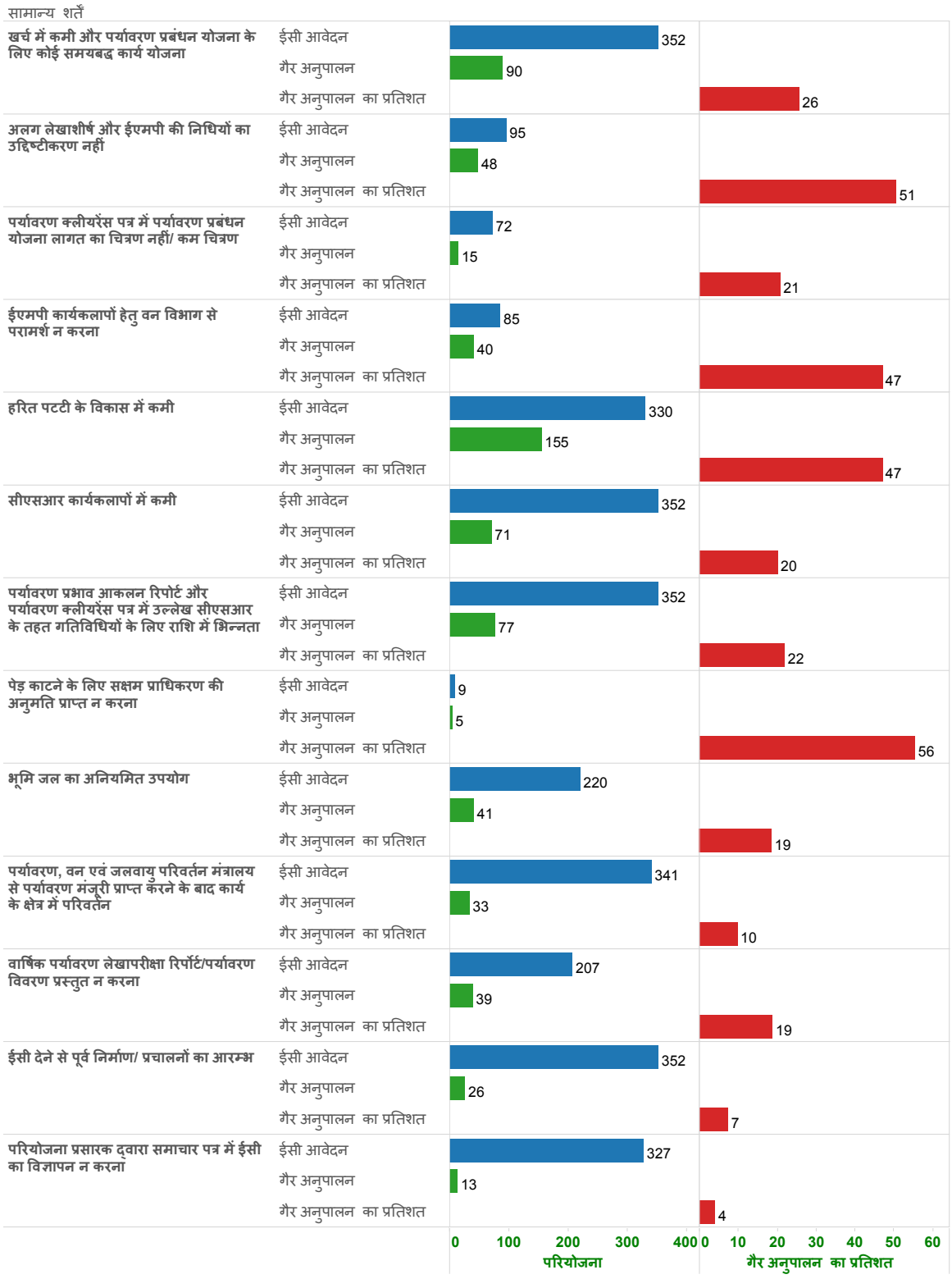

चार्ट 3.1 दर्शाता है कि सामान्य शर्तों के नमूना परियोजनाओं द्वारा अनुपालन की प्रतिशतता चार से 56 प्रतिशत के बीच थी। परियोजनाओं में जो गैर अनुपालन में 25 प्रतिशत से अधिक है वे 13 में से पांच सामान्य ईसी शर्तों से सम्बन्धित हैं। वे निम्नवत हैः

(i) पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त न करना
(ii) अलग लेखाशीर्ष और ईएमपी की निधियों का उद्दिष्टीकरण नहीं
(iii) हरित पटटी के विकास में कमी
(iv) ईएमपी कार्यकलापों हेतु वन विभाग से परामर्श न करना
(v) व्यय में कमी और ईएमपी के लिए समयबद्ध योजना नहीं

352 परियोजनोओं जिसमें परीक्षण जाँच की गई, दस परियोजनाओं में सामान्य ईसी के गैर अनुपालन की अधिकतम संख्या प्रदर्शित हुई है जिसे नीचे दी गई तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : 10 परियोजनाओं जिसमें अधिकतम संख्या के सामान्य ईसी शर्तों का गैर अनुपालन हुआ है।

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
1. बिहार	उन्नयन पटना गया धोबी अनुभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग -83	भारतीय राष्टीय राजमार्ग	ई.एम.पी के वास्तविक व्यय में गिरावट, 100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी, ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी, ई.एस आर. की गतिविधियों में अन्तर, बिना अनुमति के भूजल का उपयोग, दो समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देना।
2. बिहार	3x60 मेगावाट नबीनगर एसटीपीपी	मैं नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी, ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी, ई.एस आर. की गतिविधियों की राशि में अन्तर, ईए की रिपोर्ट प्रस्तुत ना करना, ई.सी मिलने से पहले निर्माण कार्य की अनुमति देना, ईसी सी समाप्ति पर विस्तार नहीं मिलना, काम के दायरे में परिवर्तन
3. बिहार	पुनर्वास, उन्नयन और एसएच 87 का सुदृढ़ीकरण	मैं बिहार राज्य सड़क विकास निगम	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी ई.एस आर. की गतिविधियों में अन्तर पेड़ काटने

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
			की अनुमति नहीं मिलना, बिना अनुमति के भूजल का उपयोग
4. उत्तराखंड	शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स और होटल हरिद्वार में	मैं लोटस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	वन विभाग से परामर्श ना करना, ई.एस आर. की राशि में गतिविधियों में अन्तर, ईए की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना
5. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कच्चल पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास	मैं बंदरगाह प्रबंधन बोर्ड	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी काम के दायरे में परिवर्तन दो समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देना, इए की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।
6. उत्तराखंड	शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स और होटल हरिद्वार में	मैं लोटस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन बैलट का विकास, ईसी की समाप्ति पर विस्तार नहीं मिलना, काम के दायरे में परिवर्तन
7. तेलंगाना	अनाज आधारित डिस्टिलरीज।	अनाज आधारित डिस्टिलरीज।	वन विभाग में परामर्श न करना ग्रीन बैलट का विकास ईए रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, ईसी मिलने से पहले निर्माण कार्य की अनुमति देना।
8. पंजाब	शंते माजरा पर बाग देश	मैं अंसल लोटस मिलावट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन बैलट के विकास में कमी बिना अनुमति के भूजल का ईए की रिपोर्ट प्रस्तुत ना करना ईसी सी समाप्ति पर विस्तार नहीं मिलना
9. मेघालय	मैं अंसल लोटस मिलावट प्रोजेक्ट प्राइवंट लिमिटेड	मैं श्री शकामवरी फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी, बिना अनुमति के भूजल का उपयोग उपयोग दो समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देना। ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी
10. छत्तीसगढ़	राजनांदगांव में इस्पात संयंत्र का विस्तार	मैं क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन बैलट के विकास, ई.एस आर. की गतिविधियों में अन्तर, ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी, ईएमपी की राशि में अन्तर

13 सामान्य ईसी संबंधित विस्तृत लेखा परीक्षा निष्कर्षों उत्तरगामी पैराग्राफ में हैं

3.2 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित मामले

पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) की तैयारी परियोजनाओं को चालू करने के दौरान और बाद में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रतिपादन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए

अपेक्षित है। परियोजनाओं का ईएमपी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों/जोखिमों का परिहार करने, कम करने, अल्प करने अथवा प्रतिपूर्ति करने और वृद्धि उपाय प्रस्तावित करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है।

परियोजना के ब्योरे दर्शाएं कि कैसे विभिन्न साधन लागत संघटकों सहित प्रस्तावित किए गए है अथवा प्रस्तावित किए जाने हैं जैसी अपेक्षा की जाए। पर्यावरणीय सुरक्षाओं के साधनों की लागत परियोजना लागत के अभिन्न घटक के रूप में मानी जानी चाहिए और पर्यावरणीय पहलुओं का परियोजनाओं के विभिन्न चरणों पर ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थातः

क. संकल्पनीकरणः प्राथमिक पर्यावरणीय आकलन
ख. योजनाः पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत अध्ययन और सुरक्षा उपायों के डीजाइन के विस्तृत अध्यन
ग. निर्माणः पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन
घ. प्रचालनः निर्मित सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की निगरानी

ईएमपी आवश्यक रूप से संसाधन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के विचारों पर आधारित होना चाहिए जिनमें से कुछ हैः द्रव्य वहिःस्राव, वायु प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि तथा कंपन, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों का निवारण, अनुरक्षण तथा प्रचालन, देखरेख, मानव व्यवस्थापन, परिवहन प्रणालियां, पुनःप्राप्ति-अपशिष्ट उत्पादों का पुनः उपयोग, वनस्पति बचाव, आपदा योजना और पर्यावरण प्रबन्धन कक्ष।

3.2.1 व्यय में कमी और ईएमपी की कोई समयबद्ध योजना नहीं

परियोजनाओं की ईसी हेतु आवेदन करते समय ईएसी को प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में शामिल ईएमपी में पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने के ले अपेक्षित लागत (प्रांरभिक तथा आवर्ती लागतें) स्पष्टतया प्रदर्शित होनी चाहिए और ईएमपी के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना के साथ ऐसी लागतें निकालने का आधार भी शामिल होना चाहिए। ईआईए रिपोर्ट में ऐसी स्पष्टता पीपी द्वारा कार्यकलाप वार और लागत वार अनुपालन की पर्याप्तता की निगरानी हेतु आवश्यक थी।

हमने पाया कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 352 नमूना परियोजनाओं में से 90 परियोजनाओं (26 प्रतिशत) में ईएमपी के प्रति व्यय में कमी हुई थी जैसा तालिका 3.2 में नीचे प्रदर्शित है।

तालिका 3.2 ईएमपी के प्रति व्यय में कमी

कमी का प्रतिशत	1 से 20%	20 से अधिक 40% तक	40 से अधिक 60% तक	60 से अधिक 80% तक	80 से अधिक 100% तक
परियोजनाओं की संख्या	12	17	14	20	27
परीक्षित परियोजनाओं का प्रतिशत	3	5	4	6	8

इस प्रकार प्रदूषण शमन, जल संरक्षण, हरित पट्टी के विकास, उचित अपशिष्ट प्रबन्धन, बहिः स्राव संसाधन, पर्यावरण प्राचल निगरानी, धूल उन्मूलन आदि का उद्देश्य पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के अनुसार प्राप्त नहीं किया गया था और एमओईएफएण्डसीसी ने उस की निगरानी नहीं की थी।

इसके अलावा 64 परियोजनाओं के संबंध में पीपी ने ईएमपी पर व्यय के ब्योरों नहीं भेजे थे और उस रूप में ईएमपी का उचित कार्यान्वयन निर्धारित नहीं किया जा सका। इसके अलावा 226 जांचित नमूना मामलों में ईएमपी वचन बद्धता पूरी करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का ईआईए रिपोर्ट अथवा ईसी पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिये गए हैः

मैं. मंगलौर स्पेशल इकानामिक जोन लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा 'विशेष आर्थिक क्षेत्र के चरण-1' परियोजना में हमने देखा कि ईएमपी के अधीन पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के लिए क्रमशः ₹ 660 करोड़ तथा ₹ 100 करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान था। जैसे प्रदूषण नियंत्रण निगरानी प्रणाली, हरित पटटी, समाज कल्याण पर खर्च किया जाना था। तथापि पीपी ने ₹ 186.71 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया था और ईएमपी पर राजस्व व्यय नहीं किया था। इस प्रकार, 72 प्रतिशत की कमी हुई थी।

एक अन्य मामले में मैं उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा 'जाकन-2 नदी से अल्प खनिजों के संग्रह' में, ईआईए रिपोर्ट में प्रतिवर्ष ₹ 11.45 लाख प्रावधान किया गया था, जो कि खनन संचालन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए और स्थानीय निवास स्थान के वैज्ञानिक विकास में प्रयोग करना था। धन का प्रावधान इन चिह्नित क्षेत्रों की निगरानी के लिए थाः हवा, पानी, व्यापक ध्वनि, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पतियों की सूची, स्थानीय आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौतिक सर्वेक्षण और पर्यावरण सेल के लिए मानव श्रम की कीमत। ईएमपी प्रतिबद्वताओं को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था। हमने देखा की व्यय में 88

प्रतिशत की कमी थी और अधिकतम खर्चा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हवा, पानी और ध्वनि की निगरानी की दिशा में किया गया था।

चूंकि ईएमपी कार्यकलाप पर्यावरण को हुए प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और उन्हें कम करने के लिए परिकल्पिक हैं, इसलिए ईएमपी व्यय में कमी दर्शाती है कि पीपी सतत विकास के प्रति वचनबद्ध नहीं थे। इसके अलावा एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी/यूटीपीसीसी से कोई प्रयास इस संबंध में प्रस्तावकों से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

3.2.2 अलग लेखाशीर्ष और ईएमपी की निधियों का उद्दिष्टीकरण नहीं

पीपी द्वारा ईएमपी पर वास्तविक व्यय में कमी के अतिरिक्त हमने ईएमपी की निधियों के उद्दिष्टीकरण और उदिदष्ट निधियों के अलग लेखा के अनुरक्षण की जांच करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी ईसी पत्रों का मूल्यांकन किया।

हमने देखा कि 352 परीक्षित परियोजनाओं में से केवल 95 (27 प्रतिशत) में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की निधियों के लिए अलग लेखे के अनुरक्षण की शर्त अनुबद्ध की गई थी। अलग लेखा की शर्त का 244 परियोजनाओं में उल्लेख नहीं किया गया था।

हमने पाया कि 48 परियोजनाओं में पीपी ने ऐसी निधियों के लिए लेखा नहीं बनाया था और इसलिए ईएमपी पर वास्तविक व्यय निर्धारित करना कठिन था।

3.2.3 ईसी पत्र में ईएमपी लागत का चित्रण नहीं/ कम चित्रण

पीपी ईआईए रिपोर्ट में ईएमपी से सम्बन्धित लागत अनुमानों का प्रावधान करता है। परियोजना का मूल्यांकन करते समय ईएसी संख्याओं पर विचार करता है और सिफ़ारिशें देता है जो एमओईएफएण्ड सीसी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

हमने देखा कि एमओईएफएण्डसीसी ने ईसी पत्र में अनुमोदित राशि का उल्लेख करने की समान प्रथा का अनुपालन नहीं किया था, इसलिए यह सुनिश्चित करना कठिन था कि ईएमपी पर व्यय के अनुपालन की पीपी द्वारा प्रस्तुत छ माही प्रगति रिपोर्ट माध्यम से निगरानी की जा सके।

यह देखा गया था कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 202 परियोजनाओं में ईसी पत्र में ईएमपी राशि अनुबंध नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप ईएमपी व्यय की उचित निगरानी नहीं की जा सकी। इसके अलावा 72 परियोजनाओं में ईएमपी लागत का ईआईए रिपोर्ट तथा ईसी पत्र दोनों में पीपी द्वारा अनुमानित लागत से कम, थी जिसके लिए अक्तूबर 2016 में लेखापरीक्षा को दिए गए अपने उत्तर में एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में मैं. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइ. लिमि. द्वारा 'राजनन्द गांव में इस्पात संयम का विस्तार' परियोजना में हमने देखा कि ईआईए रिपोर्ट में ईएमपी उपायों के लिए पीपी द्वारा ₹ 7.50 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया था। तथापि ईसी पत्र में ईएमपी उपायों के लिए ₹ 1.50 करोड़ का उल्लेख किया गया। ऐसे अन्तर के लिए एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में मैं. किर्लोस्कर फेरस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 'शोलापुर में फांउड्री इकाई का विस्तार तथा आधुनिक करण' परियोजना में हमने देखा कि क्रमश पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय के प्रति ₹ 2.65 करोड़ तथा ₹ 0.78 करोड़ प्रति वर्ष की राशि ईआईए रिपोर्ट में ईएमपी उपायों हेतु पीपी द्वारा प्रस्ताव किया गया था। तथापि ईसी पत्र में अलग से पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय का चित्रण किए बिना ईएमपी उपायों हेतु ₹ 5.00 करोड़ राशि का उल्लेख किया गया था।

3.2.4 ईएमपी कार्यकलापों हेतु वन विभाग से परामर्श न करना

ईएमपी में उल्लेखित वृक्षारोपण, वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण और अनेक अन्य कार्यकलापो के उचित कार्यान्वयन हेतु राज्य वन विभाग के साथ विचार विमर्श अपेक्षित हैं।

हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 191 परियोजनाओं में ईसी पत्र में वन विभाग से परामर्शों की शर्त अनुबंध नहीं की गई थी। 85 परियोजनाओं, जहॉ ईसी शर्त अनुबंध की गई थी, 40 परियोजनाओं (47 प्रतिशत) में हमने पाया कि पीपी ने ईसी शर्त का पालन नहीं किया था।

उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मैं. गोग्टे मिनरल्स लिमिटेड द्वारा तिरोडा लौह अयस्क खदान परियोजना में ईसी शर्त में अपेक्षा की गई की खनन पट्टा (एमएल) क्षेत्र, ढुलाई सड़कों, अति भारित (ओबी) डम्प स्थानों आदि में पर्याप्त वृक्षा रोपण किया जाना चाहिए। पेड़ प्रजातियों के चयन सहित सीपीसीबी मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखकर और स्थानीय जिला वन अधिकारी/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्र दौरे के दौरान ओबी डम्पस पर, स्कूल तथा एमएल क्षेत्र तथा ढुलाई सड़कों के बीच घना रोपण देखा गया था। तथापि पीपी ने स्वीकार किया कि राज्य वन विभाग के परामर्श बिना रोपण योजना स्वयं उनके द्वारा तैयार की गई थी।

उत्तराखण्ड में मैं. गामा इन्फ्राप्रोप प्राइ. लिमि. द्वारा 'गैस आधारित संयुक्त विधुत संयंत्र' परियोजना में ईसी शर्त में अपेक्षा की गई कि हरित पट्टी के विकास के अतिरिक्त, जिला वन विभाग के परामर्श से सामाजिक वानिकी उपाय किए जाने चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि सामाजिक वानिकी उपायों अथवा निम्नीकृत वन के किसी ब्लाक की पहचान नहीं की गई थी अथवा पीपी द्वारा इस संबंध में कार्य योजना आरम्भ नहीं की गई थी।

3.3 हरित पटटी के विकास में कम

वायु प्रदूषकों के लिए हरित पटटी एक महत्वपूर्ण कुण्ड है। पेड़ शोर का अवशोषण करते हैं और हरित क्षेत्र बढाने के द्वारा पारिस्थितिकी तथा सुन्दरता का सुधार करते हैं और स्थानीय सूक्ष्म मौसम विज्ञान को प्रभावित करते हैं। पेड़ मटटी गुणवत्रा तथा भू जल स्तर पर प्रमुख दीर्घावधि प्रभाव भी रखते हैं। उचित पेड़ प्रजातियों का उपयोग कर उत्सर्जित प्रदूषकों और शोर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामरिक क्षेत्रों में हरित पटिटयां विकसित की जा सकती हैं।

यह देखा गया कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 330 परियोजनाओं के संबंध में हरित पटटी के विकास से सम्बधित शर्त अनुबद्ध की गई थी। 133 परियोजनाओं में इस शर्त की अनुपालना की गई थी। हरित पटटी विकास से सम्बन्धित शर्त 18 परियोजनाओं में लागू नहीं थी क्योंकि वे निर्माणधीन थे और 22 परियोजनाओं में पीपी द्वारा अभिलेख भेजे नहीं गए थे। दो परियोजनाओं में रोपण हेतु क्षेत्र/पेडों की संख्या के संबंध में ईसी की विशिष्टता न होने के कारण कमी अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

हमने 155 (47 प्रतिशत) परियोजनाओं में हरित पटटी के विकास में कमी देखी। 139 परियोजनाओं में कमी की प्रतिशत क्षेणी जहाँ परिमाणीय है तालिका 3.3 में दी गई है। 16 परियोजनाओं के मामलों में कमी की मात्रा निकाली नहीं जा सकी क्योंकि औसत दर्जे के मापदंड जैसे रोपण हेतु क्षेत्र और पेड़ो की संख्या का ईसी पत्र में उल्लेख नहीं था।

तालिका 3.3 : हरित पटटी के विकास में कमी

% में कमी की श्रेणी	परियोजनाएं	परियोजनाओं का प्रतिशत
1-20	16	12
21-40	17	12
41-60	27	19
61-80	30	22
81-100	49	35
	139	

हमने यह भी पाया कि 20 मामलों में पीपीज ने परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए एक भी पेड़ नहीं लगाया था (100 प्रतिशत कमी)। 100 प्रतिशत कमी के पाँच मामले तालिका 3.4 में दिए गए है।

तालिका 3.4 : हरित पटटी के विकास में 100 प्रतिशत कमी

राज्य	परियोजना
1. **बिहार**	मैं. बालाजी इनगॉट इण्डिया प्राइ. लिमिटेड (बाला जी एम एस ईनगॉट उत्पादन का विस्तार
2. **मध्यप्रदेश**	मैं. एनवीडीए बारवानी, एमपी द्वारा लोअर सिंचाई परियोजना

राज्य	परियोजना
3. महाराष्ट्र	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन एच 17(पनवेल से इन्दापुर खण्ड) दो लेन का चार/छः लेन चौडीकरण
4. मेघालय	मै. मामलुह चेरा सीमेंट लिमि. द्वारा मामलुह लाइमस्टोन खान
5. ओड़िशा	मैं. महानदी कोलफील्डस लिमि. द्वारा भुवनेश्वरी ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिये गए हैः

झारखण्ड में मैं. हिन्डाल्को ईण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 'हिसरी बाक्साइट माइनिग प्रोजेक्ट' नामक गैर कोयला खनन परियोजना के ईसी पत्र में 2.98 हैक्टेयर में रोपण आवश्यक किया गया। कुल 12,700 पेड़ रोपित किए जाने थे। तथापि केवल 85 पेड़ लगाए गए थे। 12615 पेडों अर्थात 99 प्रतिशत की कमी हुई थी।

मिजोरम में मै. लोक निर्माण विभाग (राजमार्ग) मिजोरम द्वारा नए 2 लेन राजमार्ग का निर्माण' नामक अवसंरचना परियोजना के ईसी पत्र में काटे गए पेडों की संख्या के कम से कम तीन गुने का रोपण आवश्यक किया गया। कुल 3084 पेड़ गिराए गए थे। इसलिए 9,252 पेड़ लगाने की आवश्यकता हुई थी। तथापि केवल 200 पेड़ लगाए गए थे, जिससे 9,052 पेडों अर्थात 98 प्रतिशत की कमी हुई।

भूमि की पुनरूध्दार करने, रोपण के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्रा और परिस्थिति का सन्तुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उददेश्य पीपीज द्वारा रोपण के अभाव/ रोपण की कमी के कारण विफल हो गए।

3.4 उपक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व मामले

एमओईएफएण्डसीसी ने ईआईए रिपोर्ट के व्यापक ढांचे में पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) के अतिरिक्त सार्वजनिक परामर्श, सामाजिक प्रभाव निर्धारण तथा राहत और पुनर्वास (आर एण्ड आर) कार्य योजना निर्धारित की थी। परियोजना प्रस्तावकों को ईआईए रिपोर्ट में इन कार्यकलापों में शामिल कार्यकलाप - वार लागतें (पूंजीगत तथा आवर्ती लागतें दोनों), चरणबद्धता स्पष्टतया बतानी थी।

ईआईए रिपोर्टों में उपक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व ईएसआर ईएसआर कार्यकलापों जैसे पेड़-पौधे व जीव-जन्तुओं का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषिवानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण, भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य स्वच्छता और को शिक्षा बढावा देना आदि को अंजाम देना परिकल्पित था।

3.4.1 ईएसआर से संबंधित कार्यकलापों में कमी

परियोजनाओं की ईसी के लिए आवेदन करते समय ईएसी को पीपी द्वारा प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में कार्यकलाप वार लागतें (पूंजीगत तथा आवर्ती लागतें दोनों) और ईएसआर के अन्तर्गत इन कार्यकलापों की चरणबद्धता का स्पष्टतया प्रदर्शन होना चाहिए। ईआईए रिपोर्ट में ऐसी स्पष्टता, परियोजना के परिचालन चरण के दौरान पीपी द्वारा लागत वार अनुपालन की निगरानी हेतु आवश्यक थी।

हमने देखा कि 352 परियोजनाओं में से 178 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट/ ईसी में ईएसआर कार्यकलापों के लिए निधियां उद्दिष्ट नहीं की गई थीं। 103 मामलों में ईआईए/ईसी रिपोर्ट में या तो ईएस आर निधियाँ बताई नही गई या व्यय विवरण नही था। 57 परियोजनाओं में छः प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक आंशिक कमी हुई थी और 14 परियोजनाओं में 100 प्रतिशत कमी हुई थी।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

ओडिशा में मैं. ईमामी पेपर मिल्स लिमिटेड की 'पेपर मिल एवं आन्तरिक विद्युत संयंत्र का विस्तार, बालासोर' में हमने देखा कि ईएसआर कार्यकलापों (साक्षरता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा राहत, समुदाय सेवा, प्राकृतिक विपत्तियाँ तथा आपदा राहत, अवसंरचना विकास तथा अनुरक्षण, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ऐतिहासिक धरोहर एवं स्थान तथा संरचना का पुनरोद्धार तथा अनुरक्षण, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार पैदा करना, गायों तथा अन्य दुग्ध पशुओं की सुरक्षा तथा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, अनुसंधान कार्यकलाप, राष्ट्रीय एकता को बढावा, नारी सशक्तिकरण, अन्य कार्यकलाप) के लिए ईआईए रिपोर्ट/ईसी में कोई समयबद्ध कार्ययोजना नहीं थी। इसके अलावा ईएसआर हेतु वचनबद्ध ₹ 95.00 करोड़ की कुल निधियों में से पीपी द्वारा 2012-13 से 2015-16 के दौरान ₹ 4.09 करोड़ का कुल व्यय किया गया था जिसके कारण 95 प्रतिशत की कुल कमी हुई।

इसी प्रकार **मैसर्स अडानी पावर महाराष्ट्र प्रा. लिमिटेड की गोंदिया में 'कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार'** एक अन्य परियोजना में हमने देखा कि ईआईए रिपोर्ट/ईसी में ईएसआर कार्यकलापों (चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, ग्रामीण विकास, धर्मार्थ कार्यों आदि) के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना नहीं थी। इसके अलावा ईएसआर के लिए वचनबद्ध ₹ 105.60 करोड़ की कुल निधियों में से पीपी द्वारा 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 11.97 करोड़ का कुल व्यय किया गया था जिसके कारण 89 प्रतिशत की कमी हुई थी।

3.4.2 ईआईए रिपोर्ट तथा ईसी पत्र में उल्लेखित ईएसआर कार्यकलापों की राशि में अन्तर

पीपी को ईआईए रिपोर्ट में ईएसआर कार्यकलापों से सम्बन्धित लागत अनुमानों का प्रावधान करना चाहिए। परियोजना का मूल्यांकन करते समय ईएसी इन अनुमानों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशें देती है। आदर्शतः एमओईएफएण्डसीसी को ईसी पत्र में अनुमोदित राशि का उल्लेख करना चाहिए ताकि ईएसआर कार्यकलापों के अनुपालन की निगरानी पीपी द्वारा प्रस्तुत छः माही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की जा सके।

हमने देखा कि 352 परियोजनाओं में से 77 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट और ईसी पत्र में उल्लेखित ईएसआर की राशि में अन्तर था।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैः

आंध्रप्रदेश में मैसर्स एनएचएआई की चिलाकालुरी पैट से नैल्लोर खण्ड की 6 लेन सड़क के मामले में हमने पाया कि ईआईए रिपोर्ट में निर्दिष्ट ईएसआर की राशि ₹ 2.50 करोड़ थी परन्तु ईसी में उसका उल्लेख नहीं किया गया था।

हरियाणा में मैसर्स आईओसीएल की पानीपत शोधन शाला में इमलशन स्टाइरीन रबड़ प्रतिष्ठापन के अन्य मामले में हमने पाया कि ईआई रिपोर्ट में ईएसआर की राशि ₹ 4.50 करोड़ निर्दिष्ट थी परन्तु ईसी में उसका उल्लेख नहीं किया गया था।

3.5 पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त न करना

राजमार्गों के उन्नयन के संबंध में परियोजनाओं के ईसी अनुबद्ध करते हैं कि पीपी सक्षम प्राधिकरण से पेड़ काटने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। एमओईएफएण्डसीसी तथा राज्य वन प्रभाग की अनुबद्ध शर्तों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण किया जाएगा।

हमने देखा कि 352 परीक्षित मामलों में से केवल नौ परियोजनाओं में यह अनुबद्ध किया गया था कि पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी थी। पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान शामिल न करने से पीपीज द्वारा पेडों की अव्यवस्थित कटाई का जोखिम पैदा होता है। नौ परियोजनाओं में से दो में पीपी ने उतने ही पेड़ काटे थे जितने सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए और दो परियोजनाओं में पीपीज द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

हमने देखा कि नौ परियोजनाओं में से पाँच में काटे गए पेड़ सक्षम अधिकारी द्वारा काटने के लिए अनुमत पेडों की सख्या से अधिक थे। पाँच मामले तालिका 3.5 में दिए गये हैं।

तालिका 3.5 : पेड़ो की मंजूरी संख्या से अधिक में कटाई

राज्य	परियोजना का नाम	पेड़ काटने के लिए जो अनुमति प्राप्त की गई थी	पेड़ो की वास्तव में कटाई की संख्या
1. **बिहार**	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा 'एसएच 87 का सुधार उन्नयन तथा सृद्धीकरण	482	15765
2. **छत्तीसगढ**	मै. एनएचएआई द्वारा एनएच-6 का चार लेन तक उन्नयन औरांग से सराईपल्ली तक	18621	34679
3. **कर्नाटक**	मै. एनएचएआई द्वारा एनएच 17 की 4/6 लेन कुन्दापारा/ सूरतकाल	14956	18400
4. **मध्यप्रदेश**	एनएचएआई, छिंदवारा द्वारा अमरवारा की दो लेनो का सुधार एवं उन्नयन	2815	11031
5. **मध्यप्रदेश**	मै. एनएचएआई द्वारा छिंदवारा/चौरई/सियोनी सैक्शन का उन्नयन	1066	1455

3.6 भूजल का अनियमित उपयोग

कुछ परियोजनाओं के ईसी पत्र में यह निर्धारित था कि पीपी परियोजको के लिए भूजल की अपेक्षित मात्रा के आहरण के लिए सीजीडब्ल्यूए से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगें।

यह देखा गया कि 352 परीक्षित मामलों में से 220 परियोजनाओं के संबंध में भूजल के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से सम्बन्धित शर्त अनुबद्ध की गई थी। इस शर्त का अनुपालन 102 मामलों में पाया गया था। 16 परियोजनाओं के मामलों में लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए थे और 61 परियोजनाओं के मामले में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजनाएं भूजल का उपयोग नहीं कर रही थीं।

हमने देखा कि 220 परियोजनाओं में से 41 परियोजनाओं में भूजल उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के संबंध में ईसी शर्तों का उल्लंघन हुआ था।

उदाहरण मामले नीचे दिए गए है:-

मैं. एनएचएआई द्वारा एनएच-83 पर पटना-गया- दोभी खण्ड का उन्नयन और मैं. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'एम्स का निर्माण, एपैक्स हैल्थ केयर इंस्टीटयूट, फुलवारी शरीफ, पटना' का निर्माण' नामक दो परियोजनाओं में ईसी में अनुबद्ध किया गया कि परियोजना के लिए या तो भूजल का उपयोग नहीं किया जाएगा या फिर संबंधित

प्राधिकरण की अनुमति भूजल के लिए ली जाएगी। हमने देखा कि भूजल सक्षम प्राधिकरण अर्थात सीजीडब्ल्यू की अनुमति बिना उपयोग किया जा रहा था।

इस प्रकार 19 प्रतिशत मामलों में भूजल की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए सक्षम प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्रस्तावकों द्वारा ली नहीं गई थी।

3.7 एमओईएफएण्डसीसी से ईसी प्राप्त करने के बाद कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन

एमओईएफएण्डसीसी के ईसी में अनुबद्ध शर्तों में से एक यह थी कि परियोजना के क्षेत्र में किसी परिवर्तन (नों) के मामले में परियोजना को एमओईएफएण्डसीसी द्वारा ताजा मूल्यांकन अपेक्षित होगा।

यह देखा गया था कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं में यह शर्त सम्बन्धित ईसी पत्र में अनुबद्ध नहीं की गई थी। शेष 341 परियोजनाओं में से 33 मामलों में कोई नया मुल्यांकन/ एमओईएफएण्डसीसी द्वारा संशोधित ईसी जारी नहीं की गई हालांकि इन परियोजनाओं में पीपी द्वारा कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था।

इन 33 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं में उत्पादन/भण्डारण क्षमता बढाई गई, 14 परियोजनाओं में निर्माण के दौरान निर्मित क्षेत्र, तलों, पाकेट आदि जैसी सीमाओं की वृद्धि की गई, दो परियोजनाओं में भूमि/वन क्षेत्र को बढाया अथवा विपथित किया गया और चार परियोजनाओं में जलयानों/गोदी के परिय़ोजना की रूपरेखा को परिवर्तित किया गया। 4 परियोजनाओं में पीपी ने ईंधन/ परिवहन की स्रोत विधि बदल दिया और एक मामले में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित नहीं किया गया था।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैः

ओमेक्स रिवेरिया, उत्तराखण्ड के आवासीय परिसर, के निर्माण से संबंधित परियोजना में लेखापरिक्षा ने देखा कि पीपी को ईसी के अनुसार भूतल के साथ 4 तलों वाले 3 पाकेटों की संरचना का निर्माण करना था। पीपी ने ईसी शर्तों के उल्लंघन में 4 पाकेटों का निर्माण किया। 64 कमरों वाला एक अपार्टमेंट ब्लाक रोज वुड सर्विस अपार्टमेंट होटल्स को पट्टा दिया पाया गया था। इसके अलावा परियोजना स्थान के अन्दर एक निर्माणधीन ढांचा भी खड़ा हो रहा था जिसमें बार, रेस्टोरेंट तथा होटल खोलने को दर्शाते साइन बोर्ड थे, जो ईसी पत्र के प्रावधानों के प्रतिकूल था। इस प्रकार एमओईएफएण्डसीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ईसी के दायरे को बदला गया था।

ओमेक्स रिवेरिया अवसंरचना रूद्रपुर, उत्तराखंड में 64 कमरों वाला सेवा अपार्टमेंट

ओमेक्स रिवेरिया अवसंरचना रूद्रपुर, उत्तराखंड के अन्दर आने वाले प्रस्तावित होटल एंव बार रेस्टोरेंट

इसी तरह टाउनशिप परियोजना **आशियाना अमरबाग, जोधपुर** के एक अन्य मामले में ईसी केवल 345 यूनिटों के निर्माण और 44,664.34 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र हेतु दिया गया था। तथापि लेखापरिक्षा ने देखा कि 413 यूनिटों का निर्माण किया गया और निर्माण का क्षेत्र भी 55,019 वर्ग मीटर तक बढाया गया था। पीपी द्वारा एमओईएफएण्डसीसी से नया मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया गया था।

मैं. जीएमडीसी लिमिटेड द्वारा माता नौ मढ लिग्नाइट माइन, गुजरात परियोजना में 2.40 मिलियन टन प्रतिवर्ष लिग्नाइट के लिए ईसी दिया गया था। तथापि यह देखा गया था कि 2012-15 के दौरान वास्तविक उत्पादन 3.19, 3.07 तथा 3.28 एमटीपीए था।

विभिन्न कारक जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, को ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ईसी जारी किया गया था उन शर्तों का पीपीज द्वारा अक्षरशः कडाई से अनुपालन किया जाना चाहिए था। तथापि उनका उल्लंधन पर्यावरण को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करता है और स्थानीय आस-पड़ोस, स्थानीय जनसंख्या और उनके संसाधनों पर अतिरिक्त भार डालता है।

3.8 वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पर्यावरण विवरण प्रस्तुत न करना

एमओईएफएण्डसीसी परिपत्र दिनांक 30 जून 2009 के अनुसार फार्म-v में 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वित्त वर्ष का पर्यावरण विवरण पीपी द्वारा प्रस्तुत किया जाना था जैसा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। इसे ईसी शर्तो के अनुपालन की स्थिति के साथ-साथ कम्पनी की वेबसाइट पर भी डाला जाना था और क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफएण्डसीसी को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाना था।

352 नमूना परियोजनाओं में से 145 परियोजनाओं (41.19 प्रतिशत) में यह शर्त ईसी पत्र में अलग से विशिष्ट नहीं की गई थी। इस तरह 207 परियोजनाओं में से 150 परियोजनाओं ने फार्म-v में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत किए थे और 39 परियोजनाओं

(18.89 प्रतिशत) में इस शर्त का अनुपालन देखा गया था। शेष 18 मामलों में या तो सूचना उपलब्ध नहीं थी अथवा लागू नहीं थी।

पर्यावरण विवरण के अभाव में एसपीसीबी/एमओईएफ एण्ड सीसी/आरओ द्वारा परियोजना के निर्माण /प्रचालन के विभिन्न पहलुओं जैसे पर्यावरणीय मानकों की गुणवता में सम्भावित समझोता, प्रदूषकों का विसर्जन, खतरनाक तथा ठोस अपशिष्टों का प्रबन्धन, जल, कच्चे माल आदि की खपत, के ऊपर प्रभावी निगरानी नहीं रखी जा सकी।

3.9 ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालनों का आरम्भ

ईआईए अधिसूचना 2006 का पैरा 9 प्रावधान करता है कि परियोजना अथवा कार्यकलाप के लिए दिया गया पूर्व ईसी नदी घाटी परियोजनाओं के मामले में 10 वर्ष, खनन परियोजनाओं के मामले में 30 वर्ष और अन्य सभी परियोजनाओं के मामले में पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वैधता की अवधि पाँच वर्षो की अधिकतम अवधि तक सम्बन्धित नियामक प्राधिकरण द्वारा बढाई जा सकती है बशर्ते वैधता अवधि के अन्दर आवेदन किया गया हो।

हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 352 परीक्षित परियोजनाओं जिन्हें वर्ष 2008 से 2012 के दौरान ईसी दिए गए थे, में से 18 परियोजनाओं में ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालन आरम्भ हो गया। इसके अलावा आठ परियोजनाओं में ईसी की समाप्ति के बाद पीपी द्वारा ईसी की वैधता में समय-वृद्रि प्राप्त नहीं की गई थी। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैः

मै. रीयल टेक कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड की 'सिटी इम्पोरिया माल, चण्डीगढ निर्माण' के मामले में हमने देखा कि एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पाया (अगस्त 2008) कि वाणिज्यिक परिसर का निर्मित क्षेत्र 200000 वर्ग फुट से अधिक था। इसलिए पीपी द्वारा ईसी प्राप्त किया जाना था चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2009)। पीपी ने उत्तर में बताया कि अतिरिक्त क्षेत्र केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाना था और किसी वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं था और अतिरिक्त जल आवश्यकता/ अपशिष्ट जल उत्पादन आदि नहीं होगा। एमओईएफएण्डसीसी ने कोई जुर्माना लगाए बिना ईसी जारी कर दिया (नवम्बर 2009)।

इसी प्रकार एक अन्य निर्माण क्षेत्र परियोजना, **मै0 एमजीएफ डवलपमेन्टस लिमिटेड का मेट्रोपोलिटन माल, जालन्धर, पंजाब** में हमने देखा कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक को जारी ईसी फरवरी 2013 में समाप्त हो गया था और अपूर्ण कार्य नया ईसी प्राप्त किए बिना नए पीपी द्वारा अधिकार में ले लिया गया था (जनवरी 2015) उल्लंघन के लिए परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध दंण्डनीय कार्रवाई नहीं की गई थी।

मेट्रोपोलिटन माल, जालंधर, पंजाब

ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालनों का आरम्भ और ईसी को वैधता की समय वृद्धि बिना परियोजनाओं की विद्यमानता दर्शाती है कि एमओईएफएण्डसीसी द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में गम्भीर कमियां थीं जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव हुए।

3.10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाचार पत्र में ईसी का विज्ञापन न करना

ईसी पत्र की सामान्य शर्त के अनुसार, पीपी क्षेत्र में व्यापक रुप से परिचालित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन करेगा, जिनमें से एक यह सूचित करते हुए स्थानीय भाषा में होगा कि परियोजना को ईसी प्रदान किया गया है एंव ईसी की प्रतियां एसपीसीबी के पास हैं और एमओईएफएण्डसीसी की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती हैं।

यह देखा गया कि 352 नमूना परियोजनाओं में से, 211 परियोजनाओं के मामले में समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया गया था। 25 परियोजनाओं में सम्बन्धित ईसी पत्र में यह शर्त अनुबद्ध नहीं की गई थी। 92 मामलों में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थीं।

शेष 24 मामलों में, हमने देखा कि 11 परियोजनाओं में विज्ञापन केवल एक समाचारपत्र में ही दिया गया था और 13 परियोजनाओं में पीपी ने किसी भी समाचार पत्र में ईसी का विज्ञापन नहीं दिया।

इस प्रकार एमओईएफएण्डसीसी द्वारा परियोजना को दिए गए ईसी के बारे में हितधारको/ आम जनता को बताने में पीपी विफल हुए। 25 परियोजनाओं में यह शर्त सम्बन्धित ईसी पत्र में अनुबद्ध नहीं की गई थी। अतः एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र में यह आवश्यक शर्त अनुबद्ध करने में एक समान नहीं था।

3.11 उपसंहार

पर्यावरणीय प्रबंधन योजना पीपी द्वारा दी गई प्रतिबद्धता जो प्रदूषण उपशमन, जल संरक्षण, ग्रीन बेल्ट के विकास, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, प्रवाह उपचार, पर्यावरण पैरामीटर निगरानी, धूल दमन, आदि से संबंधित है। हमने देखा कि पीपी नें ईएमपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया था एमओइएफएण्डसीसी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि ईएमपी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना थी।

पीपी द्वारा ईआईए रिपोर्ट में प्रतिबद्ध पर्याप्त ग्रीन बेल्ट को बनाए रखने की आवश्यकता पूरी नहीं की थी। ईएसआर के तहत गतिविधियाँ या तो पूरी नहीं की गई या ईआईए रिपोर्ट प्रतिबद्धताओं से भिन्न थी।

एमओईएफएण्डसीसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थे कि पीपी ने अपेक्षित मात्रा में भूजल लेने के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेते है।

पीपी ने अपेक्षित मंजूरी के बिना परियोजनाओं के दायरे में बदल किया था या ईसी मिलने से पहले निर्माण/ प्रचालन शुरू किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सीसी यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि पीपी ने ईसी शर्तों का पालन अक्षरशः किया है।

पीपी नियमित रूप से सबंधित एसपीसीबी को वार्षिक पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट/ पर्यावरण वक्तव्य प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। दो स्थानीय समाचार पत्र में ईसी के प्रकाशन की आवश्यकता को भी पीपी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, जिससे हितधारकों/ आम जनता को ईसी के बारे में जागरूक करने में नाकाम रहे।

3.12 सिफारिशें

हम सिफ़ारिशें करते है कि,

i. ईआईए रिपोर्टों/ ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)

ii. एमओईएफ़एण्डसीसी पश्च ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ ईसी शर्त (तें) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 3.3)

iii. एमओईएफ़एण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/ राज्य एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 3.6)